न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 01 / 2021

कमल किशोर शर्मा, 196, राय कॉलोनी, कच्ची बस्ती, हसनपुरा –सी,जयपुर

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 02.02.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट कमल किशोर शर्मा, 196, राय कॉलोनी, कच्ची बस्ती, हसनपुरा –सी,जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2020 प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी । प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 23 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 04 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 04 दिनांक 28.01.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि आवेदक द्वारा सूचना चाहने हेतु उनके कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से चाही जाने पर प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग क[illegible] भरतपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.11.2020 से आयुक्त [illegible]) के तहत अन्तरित करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध [illegible] हेतु लिखा जाकर अपने पत्रांक 5772–73 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा आवेदक को भी सूचित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

है । अतः अपीलान्ट चाही गई सूचना आयुक्त नगर निगम भरतपुर से प्राप्त करे। यदि सूचना आयुक्त नगर निगम भरतपुर से सम्बन्धित है और उनके द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उनके विरूद्ध महापौर,नगर निगम भरतपुर के समक्ष अपील की जा सकती है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested